

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी प्रतापगढ़ (राज.)

किस्म मुकदमा...भविष्य वगैरह बनाम कारूलाल वगैरह संख्या. सन 2024

तारीख	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	उपस्थित हस्ताक्षर
12/11/2024	<p>पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई, प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थीगण विपक्षी संख्या 1 के पुत्र है, विपक्षी संख्या 1,2,3 के संयुक्त खातेदारी की आराजीयात राजस्व ग्राम बावड़ीखेड़ा प.ह. धमोतर तह/जिला प्रतापगढ़ में आराजी 74 रकबा 1.56 हैक्टेयर एवं राजस्व ग्राम हनुमान चौराहा प.ह. बारावरदा तह/जिला प्रतापगढ़ में आराजीयात 1699, 1700, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922 रकबा क्रमशः 0.14, 1.57, 0.10, 0.44, 0.07, 0.03, 0.38, 0.21, 0.36, 0.35 कुल रकबा 3.65 हैक्टेयर दर्ज रिकार्ड। उक्त आराजीयात में विपक्षी 1, 2, 3 को प्रत्येक का 1/3 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात विरासत से प्राप्त होकर मौरूसी संपत्ति है।</p> <p>यह कि वादग्रस्त आराजीयात मौरूसी होने से प्रार्थीगण का हक व अधिकार है, विपक्षी संख्या 1 प्रार्थीगण व उनकी माता को उनके हक व अधिकार से वंचित करना चाहते हैं एवं आराजीयात को विक्रय करने पर आमदा है।</p> <p>अतः विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जावे कि उक्त वादग्रस्त आराजीयात को मुल वाद के निस्तारण तक विक्रय, रहन, बय नही करे न ऐसा कार्य अन्य से करावे एवं मौके व रिकार्ड कि यथास्थिति बनाये रखे।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थना पत्र के गुणावगुण पर विचार किये बिना जवाब तक विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात विक्रय, रहन, बय नही करे न ऐसा कार्य अन्य से करावे एवं मौके व रिकार्ड कि यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली दिनांक 23/12/2024 को पेश हो।</p>	


उपखण्ड अधिकारी
प्रतापगढ़





Recd
11/11/20

सेवामें,

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, प्रतापगढ (राज)

1. भविष्य पुत्र कारूलाल जी गुर्जर आयु 7 वर्ष ना0बा0सरपरस्त माता श्रीमति सुगना पत्नी कारूलाल जी गुर्जर आयु वयस्क निवासी मौसारागांव, हनुमान चौराहा बारावरदा, तहसील व जिला प्रतापगढ (राज)
2. आनंद पुत्र कारूलाल जी गुर्जर आयु 2 वर्ष ना0बा0सरपरस्त माता श्रीमति सुगना पत्नी कारूलाल जी गुर्जर आयु वयस्क निवासी मौसारागांव, हनुमान चौराहा बारावरदा, तहसील व जिला प्रतापगढ (राज)

—प्रार्थीगण

— बनाम —

1. श्री कारूलाल पिता भेरूलाल जी गुर्जर आयु वयस्क निवासी मौसारा गांव, बारावरदा, तहसील व जिला प्रतापगढ (राज)
2. श्री पन्नालाल पिता माना जी गुर्जर आयु वयस्क निवासी मौसारा गांव, बारावरदा, तहसील व जिला प्रतापगढ (राज)
3. श्री मोहनलाल पिता माना जी गुर्जर आयु वयस्क निवासी मौसारा गांव, बारावरदा, तहसील व जिला प्रतापगढ (राज)
4. श्रीमान तहसीलदार साहब, प्रतापगढ (राज)

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा0टि0एक्ट

मान्यवर महोदयजी,

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र विरुद्ध विपक्षीगण निम्न प्रकार पेश है—

1. यह कि वादी प्रार्थीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53-88-188 रा0टि0एक्ट के तहत माननीय न्यायालय में प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया है जिसमें वादी प्रार्थीगण अवश्य सफल होंगे क्योंकि वादी प्रार्थीगण का वाद प्रथम दृष्टया सुदृढ बिन्दुओं पर है।

सागल
मनाहर भाई
PS

2. यह कि प्रार्थीगण, विपक्षी सं० 1 की जाइन्दा संतान होकर पुत्र है जिनका सजरा खानदान निम्न प्रकार है—

कारूलाल पिता भेरूलाल

-----|-----|

भविष्य (पुत्र) आनंद (पुत्र) सुगना(पत्नी)

3. यह कि विपक्षी सं० 1, 2 व 3 के संयुक्त खातेदारी की आराजीयात वाके गाँव बावडीखेडा, प०ह० धमोतर, तहसील व जिला प्रतापगढ (राज) में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है—

नया खाता संख्या	खसरा संख्या	क्षेत्रफल
259	74	1.56

कुल कीता-1 कुल रकबा 1.56 हैक्टर

इसी प्रकार विपक्षी सं० 1, 2 व 3 के संयुक्त खातेदारी की आराजीयात वाके गाँव हनुमान चौराहा, प०ह० बारावरदा, तहसील व जिला प्रतापगढ (राज) में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है—

नया खाता संख्या	खसरा संख्या	क्षेत्रफल
192	1699	0.14
	1700	1.57
	915	0.10
	916	0.44
	917	0.07
	918	0.03
	919	0.38
	920	0.21
	921	0.36
	922	0.35

कुल कीता-10 कुल रकबा 3.65 हैक्टर

उक्त वर्णित दोनों खातो की आराजीयात में विपक्षी सं० 1, 2 व 3 प्रत्येक का 1/3, 1/3 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है।

संग
9
मन्तर 13/13
ल

4. यह कि विपक्षी सं० 1 को उपर चरण सं० 3 में वर्णित दोनों खातों की आराजीयात विरासत से प्राप्त हुई है इसलिये कानूनन मौरूसी जायदाद में प्रार्थीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है।
5. यह कि विपक्षी सं० 1, प्रार्थीगण व उनकी माता को उनके हक व अधिकार से वंचित करना चाहता है तथा उक्त आराजीयात को विक्रय करने पर आमदा है। जबकि प्रार्थीगण अल्प आयु के है तथा उनके वयस्क होने में काफी समय है ऐसी स्थिति में अगर विपक्षी सं० 1 द्वारा उक्त मौरूसी जायदाद को विक्रय कर दिया जाता है तो प्रार्थीगण अपने हक व अधिकार से वंचित हो जावेगे तथा उनका जीवन संकट में पड जावेगा। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण की माता द्वारा उक्त आराजीयात का बंटवारा करने की कहा तो विपक्षी सं० 1 ने धमकी दी है कि मैं सम्पूर्ण आराजीयात को दिगर व्यक्ति को विक्रय कर खूर्द-बूर्द कर दूगा और तुमको एक इंच भी जमीन नहीं दूगा। जबकि उक्त आराजीयात मौरूसी जायदाद होने से प्रार्थीगण का उक्त आराजीयात में जन्म से हक व अधिकार है इसलिये प्रार्थी अधिकारी है कि वह उपर चरण सं० 3 में वर्णित मौरूसी आराजीयात का बंटवारा कराकर अपना हक व हिस्सा प्राप्त करे तथा राजस्व रिकार्ड में तनहा अपने नाम अमल दरामत करावे।
6. यह कि विपक्षी कं० 1 के मन में बदनियति आ गई है व अपने हिस्से की आराजी को बिना बंटवारा कराये बैच कर खूर्द बूर्द करने को आमदा है इसलिये विपक्षी कं० 1 को ताफैसला मुल वाद के निराकरण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जावे कि जब तक उक्त आराजीयात का विधिक रूप से बंटवारा नहीं हो जावे तब तक विपक्षीगण दिगर किसी भी व्यक्ति को रहन, बय, विक्रय या हस्तान्तरित नहीं करे, ना ही आराजीयात को खूर्द-बूर्द करे। उक्त कार्य न स्वयं विपक्षीगण करे, ना ही अपने किसी नौकर, एजेन्ट या रिश्तेदार से करावे। अगर विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो विपक्षीगण उक्त आराजीयात को विक्रय कर देगे जिससे प्रार्थीगण अपने हक व अधिकार से वंचित हो जावेगे तथा प्रार्थीगण का जीवन संकट में पड जावेगा।

शरण
७
मन्तर १५/५
२४

7. यह कि सुविध्या का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है क्योंकि उक्त आराजीयात पुश्तैनी जायदाद होकर उसमें प्रार्थीगण का जन्म से हक व अधिकार निहित है।
8. यह कि वादग्रस्त आराजीयात गाँव बावडीखेडा व हनुमान चौराहा में स्थित है जो श्रीमान के न्यायालय क्षेत्र में स्थित होने से उक्त वाद माननीय न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार प्राप्त है।
9. यह कि विपक्षी सं० 2, 3 उक्त आराजीयात के सह खातेदार है तथा विपक्षी सं० 4 भूस्वामी है इस कारण इन्हें विपक्षी बनाया गया है।
- 10 यह कि प्रार्थना पत्र निश्चित न्याय शुल्क पर पेश है। प्रार्थना पत्र के साथ वादग्रस्त आराजीयात की वर्तमान जमाबंदी, प्रार्थना पत्र की नकल, सम्मन, तलबाना आदि पेश है। प्रार्थना पत्र की ताईद में शापथ पत्र पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि विपक्षीगण को ताफैसला मुल वाद के निराकरण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि जब तक प्रार्थीगण व विपक्षीगण के मध्य उक्त आराजीयात का विधिक रूप से बंटवारा नहीं हो जावे तब तक विपक्षीगण उक्त आराजीयात को किसी तरह से खूर्द-बूर्द नहीं करे, ना ही दिगर किसी व्यक्ति को रहन, बय या विक्रय करे, ना ही अन्य से करावे।

दिनांक 8-11-2024

सुमान
७
मन्तर म/स